Washim District Police

Nature of Work :- **Helping Women in distressed situation**

Police Station :- **Asegaon**

Date of Good Work done :- **25/06/2022**

Brief of the work done :-

आसेगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत दर्ज मामले में केवल 04 घंटे में दोषरोपपत्र दाख़िल.

आसेगांव पुलिस स्टेशन अंतगत दर्ज मामले में केवल 4 घंटे में दोषारोपपत्र दाखिल

जिला प्रतिनिधि| वाशिम

घर में खाना बना रही अकेली महिला के घर में घुसकर गलत इरादे से उसका हाथ पकड़ने के मामले में गुरुवार को फरियादी की रिपोर्ट पर आसेगांव पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ धारा 354, 452 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में केवल 4 घंटे में ही दोषारोपपत्र हुआ है।आसेगांव पुलिस स्टेशन में 23 जून को फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई कि 22 जून की सुबह 10 बजे के आसपास वह घर में अकेली थी और खाना बना रही थी, इसी दौरान मानोरा तहसील के ग्राम खेर्डा निवासी 26 वर्षीय आरोपी धर्मराज इंदल चव्हाण उसके घर में आया और गलत इरादे से हाथ पकड़कर अपने साथ बात करने को कहा। इस दौरान फरियादी के शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग निकला। मामले में प्राप्त शिकायत पर आसेगांव पुलिस ने धारा 354, 452 के तहत 12.57 बजे अपराध दर्ज किया। आसेगांव के थानेदार सहायक पुलिस निरीक्षक सागर दानडे ने यह मामला महिला अत्याचार से सम्बंधित होने से इसे तत्काल अपने पास लिया।

जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने समय-समय पर क्राईम मीटिंग में महिला अत्याचार के मामलों में तत्काल कार्रवाई कर दोषारोपपत्र दाखिल करने तथा अपराध को अंजाम देनेवाले समाज कंटकों में दहशत बनाने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत मंगरुलपीर के उपविभागीय पुलिस अधिकारी यशवंत केडगे के मार्गदर्शन में मामले के आरोपी धर्मराज इंदल चव्हाण (26) नि. खेर्डा तहसील मानोरा जिले वाशिम को 01.25 बजे तत्काल गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को 7 जुलाई 2022 तक एमसीआर मंजूर किया है। मामले में फरियादी समेत कुल 5 गवाहों के बयान दर्ज करते हुए आरोपी के विरुध्द पुख्ता सबूत मिलने से दोषारोप पत्र तैयार कर आरोपी के विरुध्द प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी मानोरा की ओर से सीसी नं. 164/22 दिनांक 23/06/2022 को 5 बजे दाखिल किया गया। इस कार्रवाई को जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी यशवंत केडगे के मार्गदर्शन में आसेगांव पुलिस स्टेशन के थानेदार सहायक पुलिस निरीक्षक सागर दानडे, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक रमेश कांबले, पुकां गणेश भोयर, नापुकां विजय शिनगारे, पुलिस सिपाही नामदेव हाके, रामेश्वर नरुटे, रवि मालवे, महिला पुकां तनुजा राकेश ने अंजाम दिया।